न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 55/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/74

सरकार जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री तपन जानी पुत्र श्री जलज जानी निवासी 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स जानी ट्रेडर्स 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा (राज.)
2. श्री संजय केशव मिश्रा (फर्म मालिक) मैसर्स– **Parag milk Foods limited, Flat no.1, Plot no 19, Nav Rajasthan Co.Op.Hsg.Soc Behind Ratana Memorial Hospital, S.B Road Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra 411016**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 16–03–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेदमल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **09–04–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **07–06–2023** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स जानी ट्रेडर्स 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री तपन जानी पुत्र श्री जलज जानी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स जानी ट्रेडर्स 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan) एक कर्टन में 500 एम.एल पैकिंग के 12 डिब्बे विक्रय हेतु रखे थे।** उक्त खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** के 500 एम.एल के 4 डिब्बे कुल 2 लीटर वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 142[illegible]/– रु. विक्रेता को चुकाकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan) के 500 एम.एल के 4 डिब्बे कुल 2 लीटर के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1438** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/355 दिनांक 07–07–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 20–06–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1438** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री तपन जानी पुत्र श्री जलज जानी** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– Parag milk Foods limited, Flat no.1, Plot no 19, Nav Ra[illegible] Co.Op.Hsg.Soc Behind Ratana Memorial Hospital, S.B Road Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra** की बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12–04–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 24.06.2024 को अपूर्व जानी जिसे अप्रार्थी सं. 1 तपन जानी द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया, पत्र के साथ उपस्थित रहे। दिनांक 14.10.2024 अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रतिनिधि के रुप में श्री गौरव शर्मा उपस्थित रहे तथा कंपनी द्वारा उन्हे अधिकृत करने सम्बन्धित पत्र की फोटो प्रति पेश की।

दिनांक दिनांक 02.12.2024 को अप्रार्थीगणो के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया। दिनांक 10.03.2025 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री आकाश पटेल व दिनांक 28.04.2025 को अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री मयंक खत्री व श्री आकाश पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

दिनांक 15.12.2025 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक सुरक्षा खाद्य अधिकारी दिनांक 07.06.2023 को लगभग 1 पी.एम को अप्रार्थी की फर्म पर गया और वहां पर रखे हुए **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** की पैकेजिंग में पाये गये। उक्त प्योर घी सही पैकेजिंग व लेबलिंग के अनुसार ही अप्रार्थी अप्रार्थी सं.1 की फर्म पर पाये गये उक्त प्रोडक्ट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत सही व मानक के अनुसार होने के बावजुद बिना किसी वजह के परिवादी द्वारा उसे सही मानते हुए उसका नमूना लेने हेतु अप्रार्थी सं. 1 को कहा, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के निवेदन पर उसे सेम्पल लेने की अनुमति दी। परिवादी द्वारा अप्रार्थी सं.1 की फर्म से चार **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** 500 एम.एल कुल 2 लीटर खरीदा व विक्रेता को 1420/– रुपये नगद दिये। मौजुदा सेम्पल खरीदने से पहले एक नोटिस तैयार किया गया, जिस पर सुरक्षा मानको के अनुसार फर्म के प्रोपराईटर एवं मौजुदा ग्राहको/ सहकर्मी की गवाही लेना आवश्यक है, परन्तु प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ताक पर रखते हुए बिना [illegible] गवाही के जबरन अप्रार्थी सं.1 से नमूने खरीद किये, जिसका ब्योरा प्रार्थी [illegible] में दिया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल जबरन जप्त करने के पश्चात् जब [illegible] गवाह नही मिला तब प्रार्थी द्वारा एक व्यक्ति जिसका वितरण भी नही दिया गया है, उस हस्ताक्षर करना बताया गया, जो कि पुर्णतया गलत व मनगढंत बात है क्योंकि परिवादी द्वारा जब सेम्पल खरीदे गये तब वहां पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी सं.1 के अलावा उसके कार्यकर्मी थे, परन्तु उनको गवाह न बनाकर परिवादी द्वारा झुठे गवाह का बिना नाम विवरण दिया गया है जिसका कोई आधार नही है एवं उक्त प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थी द्वारा सेम्पल लेने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत जो विधि सेम्पल लेने एवं उनकी जांच के लिये जरुरी है उसे नही मानते हुए अपनी मर्जी अनुसार बिना किसी तकनिकी व्यक्ति एवं स्वतंत्र गवाह की गैरहाजरी में उन सेम्पल को चार अलग अलग हिस्सो में किया गया एवं उसे सील पैके कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रक्रिया में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को ध्यान में न रखते हुए अपने अनुसार ही पूर्ण कार्यवाही की गई जो की न्यायोचित नही होने से खारिज योग्य है एवं सेम्पल प्रार्थी द्वारा तैयार किये गये, वो व्यक्तिगत प्रतिशाध की मंशा से किये गये है, जो सही नही है एवं पुरी प्रक्रिया बिना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को मानते हुए करने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा जबरन व दबावपूर्वक फर्द रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ले लिये व बिना पढकर, सुनाकर व समझाकर उक्त हस्ताक्षर अप्रार्थी सं. 1 को धोखे में रखते हुए ले लिये एवं गवाह की जगह उस समय किसी के हस्ताक्षर न करवाते हुए प्रार्थी द्वारा कटुरचित तरीके से गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये है। प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत जो विनियम स्थापित किये गये है उसे ना मानते हुए एवं नजरअंदाज करते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया की गई है जिसका कोई न्यायोचित आधार नही है एवं मानको के विरुद्ध होने से पुरी प्रक्रिया खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में खुद यह माना व लिखा गया है कि उक्त सेम्पल व नमूनो पर सील मौके पर ही लगा दी गई थी यह तथ्य पूर्णतया गलत व झुठ है। सेम्पल सील करने के पश्चात् प्रार्थी उक्त सेम्पल लेकर अप्रार्थी सं. 1 की फर्म से लेकर चला गया एवं बिना किसी स्वतंत्र गवाह की हाजरी के अन्दर उक्त सेम्पलो पर सील व आउटर कवर लगाई एवं प्रार्थी द्वारा खुद उक्त सेम्पल जांच के लिये नही भेजे गये। उक्त प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के बिलकुल विरुद्ध है एवं पुरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करती है एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया गलत मानको के आधार पर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा जो सेम्पल पब्लिक [illegible] लेबोरेट्री एमजी हॉस्पीटल केम्पस बांसवाडा को भेजे गए थे उसकी ज[illegible] दिनांक 26.03.2023 को दी गई, जिसके अनुसार **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** के सेम्पल को अमानक सबस्टण्डर्ड माना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी कम्पनी पराग मिल्क फुड लिमिटेड अपने उत्पादको में सभी खाद्य सुरक्षा मानको को ध्यान में रखकर ही उत्पादन किया जाता है एवं किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नही की गई है।। प्रार्थी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उसके द्वारा जांच सम्पूर्ण रुप से नही की गई एवं सेम्पल लेने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नही करते हुए अपने मनमाने अनुसार एवं व्यक्तिगत प्रतिशोध होने से गलत सेम्पल तैयार किये गये एवं जबरन रुप से उसकी जब्ती की गई जिस कारण पुरी प्रक्रिया दुषित हो गई एवं गलत सेम्पल पर पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री एमजी हॉस्पीटल केम्पस बांसवाडा द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो न्यायोचित नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विरुद्ध सम्पूर्ण जांच की गई है जिसका कोई आधार औचित्य नही है। यहां यह कहना अनिवार्य है कि धारा 77 फुड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार किसी भी खाद्य सामग्री का सेम्पल लेने के पश्चात् उसे एक वर्ष के अन्दर जांच करवाने हेतु भेजना होता है एवं जांच प्रक्रिया संपूर्ण करनी है परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल दिनांक 10.01.2023 को लेना बताया गया जबकि जो शिकायत आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई वो दिनांक 12.04.2024 को प्रस्तुत की गई है जो न्यायसंगत नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा उक्त शिकायत देरी से दर्ज कराने बाबत् किसी प्रकार का संतोषजनक आधार/ कारण नही दिया है, न ही विलम्ब का कोई कारण पेश किया गया जो पूर्णतया गलत व न्यायोचित नही है। अतः अप्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत/ परिवाद को सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान कथन किया कि मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफ/नोटिफीकेशन/2023/207 दिनांक 10.01.2023 एवं प 5 (01) चिस्वा/ ग्रुप–3/ 2023/ 10018 दिनांक 15.12.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किय गया है श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, राजस्थान जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक [illegible]/ खासुऔनि/ संस्था/ 2022/ 6235 दिनांक 22.12.2022 एवं आदेश [illegible]/ संस्था/ 2023/ 10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार मुझे [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा आवंटित किया गया है, और बांसवाडा जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानिय क्षैत्र मेरे कार्यक्षैत्र में आते है। दिनांक **07–06–2023** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स जानी ट्रेडर्स 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री तपन जानी पुत्र श्री जलज जानी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स जानी ट्रेडर्स 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan) एक कर्टन में 500 एम.एल पैकिंग के 12 डिब्बे विक्रय हेतु रखे थे।** उक्त खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** एफ.एस. एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan) के 500 एम.एल के 4 डिब्बे कुल 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1420/-- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, उपस्थित गवाह एवं स्वयं हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा 2 लीटर **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** के 4 नमूना भाग तैयार किये। चारो नमूना भागो हेतु 4 लेबल तैयार किये, जिन पर विवरण आदि अंकित किया। उक्त तैयार लेबल में से एक एक लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. **W-1438** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं नियमानुसार सील चपडी लगाई। चारो नमूना भागो पर विवरण अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लीप से होते हुए रेपर पेपर तक करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये और चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। मैने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये विक्रेता एवं गवाहो को पढकर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाह ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर स्वविवेक से पूर्ण होशोहवास में हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर मौका फर्द पर अंकित किया। कार्यालय पहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे वह नमूना सील [illegible]। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति को आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला में जमा कराने हेतु तैयार किया। फार्म सं. 6 की 2 प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

को जमा करा रसीद प्राप्त की। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/355 दिनांक 07–07–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 20–06–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1438** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री तपन जानी पुत्र श्री जलज जानी** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– Parag milk Foods limited, Flat no.1, Plot no 19, Nav Rajasthan Co.Op.Hsg.Soc Behind Ratana Memorial Hospital, S.B Road Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 20–06–2023 अनुसार अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/355 दिनांक 07–07–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 20–06–2023 अनुसार खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1438** की फॉरेन फेट की जांच में मानक अनुसार मात्रा नही होनी चाहिये थी जबकि उक्त नमूने में उपस्थित पायी गई है। नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Pure Cow Ghee (Gowardhan) का नमुना कोड क्रमांक **W-1438** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **Pure Cow Ghee (Gowardhan)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री तपन जानी पुत्र श्री जलज जानी निवासी 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स जानी ट्रेडर्स 32 शिव कोलोनी, बांसवाडा (राज.) को रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री संजय केशव मिश्रा (फर्म मालिक) मैसर्स– Parag milk Foods limited, Flat no.1, Plot no 19, Nav Rajasthan Co.Op.Hsg.Soc Behind Ratana Memorial Hospital, S.B Road Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra को रूपये 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र)से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 16–03–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.04.17 11:24:34 IST
Reason: SelfAttested